भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 2461
दिनांक 9 मार्च, 2021 के लिए प्रश्न
मत्स्य उत्पादों हेतु मांग

2461. **श्री सय्यद ईमत्याज जलील:**
श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोविड-19 के कारण मत्स्य व्यापार पर गंभीर असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण से मत्स्य उत्पादों की मांग में गिरावट आई है;

(ग) क्या मत्स्य उद्योग के पास निर्यात के लिए और घरेलू उपभोग के लिए बहुत बड़ा भंडार है, जिसके परिणामस्वरूप मछली और मत्स्य उत्पादों की कीमतों में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में मछुआरों को संकट से उबारने के लिए कोई सहायता प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चन्द्र सारंगी)

(क) और (ख): कोविड-19 महामारी के कारण अन्य क्षेत्रों की भांति, मत्स्य व्यापार भी गंभीर प्रभावित हुआ है। महामारी के चरम के दौरान, सप्लाई चेन बाधित होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू बाजार में मत्स्य उत्पादों की मांग में गिरावट आई है।

(ग) : भारतीय मत्स्य संसाधन और उत्पादन क्षमता निर्यात तथा तथा घरेलू उपभोग की मांग की पूर्ति करने और इसके फलस्वरूप कीमतो के स्थिरीकरण के लिए पर्याप्त हैं ।

(घ) और (ङ) : जी हां । कोविड-19 महामारी के फैलाव को ध्यान में रखते हुए और मछुआरों तथा मछली किसानों पर संकट के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से लॉक डाउन के दौरान गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए अनेक उपाय किये गए जिनमें गृह मत्रालय द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2020 को जारी किए गए समेकित दिशा निर्देशों के परिशिष्ट 5 के माध्यम से लॉक डाउन के अन्तर्गत लगाए गए प्रतिबंधों से समुद्री मात्स्यिकी और जलीय कृषि संबंधी गतिविधियों के प्रचालन से दी गई छूट भी शामिल है।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एक सर्वोत्कृष्ट योजना नामत: "प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.)" - भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के सतत एवं उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की योजना को आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज के अंश के रूप में लागू कर रहा है जिसमें मात्स्यिकी क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक अनुमानित निवेश 20050 करोड़ रुपये का है। यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की जा रही है। प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) में अन्य के साथ-साथ पारम्परिक मछुआरों को गहन समुद्री मत्स्ययन जलयानों के अर्जन, निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए मौजूदा मत्स्ययन जलयानों को अपग्रेड करने, यंत्रीकृत मत्स्ययन जलयानों में बायो शौचालयों की स्थापना करने, पारम्परिक तथा मोटर चालित जलयानों के लिए वी.एच.एफ./ डी.ए.टी./एन.ए.वी.आई.सी./ ट्रांस्पोंडरो आदि जैसे संचार और/ या ट्रैकिंग डिवाइस उपलब्ध कराने, परंपरागत तथा मोटर चालित जलयानों के मछुआरों के लिए सुरक्षा किट, नौकाएं (रिप्लेसमेंट) और जाल उपलब्ध कराने, पी.एफ.जेड. डिवाइस और नेटवर्क जिसमें स्थापना तथा अनुरक्षण आदि की लागत भी सम्मिलित है, के रूप में मछुआरों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

***